भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1033

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

सी. सी. टी. एन. एस. की स्थिति

1033. श्री रंजिब बिस्वाल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टमस (सी.सी.टी.एन.एस) ' के अंतर्गत देश के सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सभी थानों को जोड़ने की सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है:

(ख) इसके परिणामस्वरूप क्या-क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(ग) इस परियोजना पर विचार किए जाने के बाद इसके लिए अभी तक कुल कितनी धनराशि आंवटित तथा व्यय की गई है;

(घ) क्या यह परियोजना सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा नेटवर्क से संबंधित किन्हीं समस्याओं का सामना कर रही थी; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना की शुरू/चालू करने मे आने वाली समस्याओं एवं अन्य अड़चनों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) : दिनांक 20 फरवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार, लगभग 58 प्रतिशत पुलिस थाने प्रणाली के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं, कुल 88 प्रतिशत स्थल सीसीटीएनएस के कार्यान्वयन हेतु तैयार हैं, 10 वर्षों के पुराने आंकड़ों में से 59 प्रतिशत आंकड़ों का अंकीकरण किया गया है तथा कुल 76 प्रतिशत स्थलों को क्राइम एंड क्रिमनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के अंतर्गत नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

(ख) : परियोजना से प्राप्त होने वाले संभावित लाभ निम्नानुसार हैं:

- पुलिस थाना स्तर पर तथा विभिन्न स्तरों पर मौजूद अन्य पुलिस कार्यालयों में प्रक्रियाओं और कार्यों को स्वचालित तरीके से निष्पादित करके पुलिस कार्यकरण को लोक हितैषी, पारदर्शी, जवाबदेह, प्रभावी और दक्ष बनाना।
- सूचना एवं दूर संचार प्रौद्योगिकी के प्रभावी प्रयोग के माध्यम से लोक केन्द्रित सेवाओं की बेहतर प्रदायगी।
- अपराध की त्वरित और अधिक सटीक जांच तथा अपराधियों का पता लगाने में सुगमता प्रदान करने हेतु जांच अधिकारियों को उपकरण, प्रौद्योगिकी और सूचना मुहैया कराना।
- पुलिस कार्यकरण को अन्य विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि कानून एवं व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, संगठित अपराध को नियंत्रित करने, संसाधन प्रबंधन आदि में बेहतर बनाना।
- भारत सरकार के स्तर के कार्यालयों सहित पुलिस थानों, जिलों, राज्य मुख्यालयों और अन्य संगठनों/एजेंसियों के बीच आंकड़ों और सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुन: उपयोग, विश्लेषण, अन्तरण और आदान-प्रदान को सुगम बनाया जाना।
- पुलिस बल के बेहतर प्रबंधन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सक्षम बनाना तथा उनकी सहायता करना।
- न्यायालयों में मामलों में हो रही प्रगति सहित अपराध तथा आपराधिक जांच एवं अभियोजन के मामलों की प्रगति की निगरानी करना।
- मैनुअल और अनावश्यक रिकॉर्ड के रख-रखाव में कमी लाना।

(ग) : इस परियोजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 1248.22 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। दिनांक 15 फरवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार, कुल 876.92 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है तथा परियोजना के आरंभ से 586.06 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

(घ) एवं (ङ): जी, हां। परियोजना के समक्ष राष्ट्रीय डाटा केन्द्र (एनडीसी) एप्लीकेशन के कार्यान्वयन, राज्य से राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र में आंकड़ों के दोहराव, सैटेलाइट संपर्क प्रणालियों (वीएसएटी) के प्रतिष्ठापन में विलंब जैसी तकनीकी समस्याएं आईं हैं।

इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी-पत्र जारी किए गए हैं तथा कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए सभी हितधारियों के साथ नियमित बैठकें की जारी हैं।

****